1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P. No. 1121/2026, dt. 02.04.2026, Shankar Ram & two others. Vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1121/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. शंकर राम वल्द विन्दा राम उम्र 45 वर्ष
2. सुगंधी देवी पति बदरी राम उम्र 44 वर्ष
3. श्री देवी पति शंकर राम उम्र 42 वर्ष

ग्राम–बहौरी , थाना–लखौरा, जिला– पूर्वी चम्पारण .....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी।

आवेदक की ओर से – श्री रामधनी सिंह, विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

02.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त शंकर राम, सुगंधी देवी एवं श्री देवी की ओर से लखौरा थाना कांड संख्या–36/2026, धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 351(2), 352/3(5) बी.एन.एस. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचिका सीता देवी का कथन है कि दिनांक 04.02.2026 वह एवं उसके देयादीन शिवकुमारी देवी अपने दरवाजा थी तो देखा कि उसके जैदी संध्या कुमारी को मारपीट कर रहा था तो वह एवं उसके देयादिन शिव कुमारी देवी बचाने गयी तो शंकर राम, बदरी राम, श्री देवी, सुगंधी देवी अपने–अपने हाथ में ईटा लाठी से मारपीट करने लगा तथा अभद्र गाली भी देने लगा शंकर राम ईटा से उसके देयादिन शिवकुमारी देवी के सिर पर मारा जिससे उसके देयादिन वहीं पर बेहोश होकर गिर गयी। उसे भी बाल पकड़ कर मारपीट किए तथा इसी बीच उसके ससुर बुनीलाल राम आए तो उसे भी मारपीट कर दिए उसके देयादिन का ईलाज सदर अस्पताल में कराया गया जहॉ से रेफर कर दिया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय

में या माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने आरोपित घ टना को कारित नहीं किया है, उन्हें पट्टीदारी दुश्मनी, जमीनी विवाद एवं गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। उभय पक्ष खास पट्टीदार है एवं उनके बीच हिस्सेदारी को लेकर कुछ विवाद है। आवेदकगण के स्थानीय दुश्मनों के बहकाबे में आकर सूचिका द्वारा परेशान करने के उद्देश्य से यह झूठा मामला दर्ज कराया गया है। घटनास्थल पर इस प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुआ था। धारा– 109(1) बी.एन.एस. का आरोप इस मामले में नहीं बनता है, क्योंकि आवेदकगण की किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी, न ही इस प्रकार का कोई जख्म कारित हुआ था जिससे कि इस धारा की पुष्टि हो सके, यदि कोई जख्म प्रतिवेदन है तो वह बनावटी है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है। आवेदकगण को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अतः अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदकगण के विरूद्ध सूचिका, उसके ससुर एवं उसके देयादिन को ईटा एवं लाठी से सर पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका– 39 में शिवकुमारी देवी एवं 40 में मुन्नी लाल राम का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी शिवकुमारी देवी के शरीर के बाह्य अंग पर कोई जख्म नहीं पाया गया है केवल शरीर में एवं सर में दर्द होने की शिकायत किया गया है, एन.सी. सी.टी. प्रतिवेदन सामान्य बताया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। जख्मी मुन्नी लाल राम के शरीर पर कोई बाह्य जख्म नहीं पाया गया है केवल शरीर में दर्द होना बताया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। कांड

दैनिकी की कंडिका–33 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है तथा उभय पक्षों की ओर से अंगूठे के निशान से समर्थित फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन की सच्ची प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोपित आरोप की प्रकृति, जख्म की साधारण प्रकृति, आवेदकगण का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति एवं उभय पक्षों के बीच स्थापित मधुर संबंध को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण शंकर राम, सुगंधी देवी एवं श्री देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा–438 (2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है । आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 02.04.2026